न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— प्र0—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—401/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—172/26
बिहार राज्य बनाम् सोनू कुमार।

सोनू कुमार, पे0—सुरेन्द्र यादव, उम्र लगभग 27 वर्ष,
साकिन—शेखोपुरसराय, थाना—शेखोपुरसराय, जिला—शेखपुरा.................................आवेदक।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री श्याम किशोर कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

04.05.2026 काराधीन अभियुक्त सोनु कुमार की ओर से इनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.04.2026 को नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जो कि दिनांक 09.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उत्पाद थाना कांड सं0—172/26 के अंतर्गत धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लंबित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध इस केस के अलावे एक अन्य केस उत्पाद वाद संख्या—321/2025, जिसमें 51.750 विदेशी शराब बरामद हुआ था, का आपराधिक इतिहास दर्ज है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। कथित तलाशी और जप्ती में महत्वपूर्ण विरोधाभास और प्रक्रियात्मक अनियमितताएं है। यह आरोप लगाया गया है कि बरामदगी संदिग्ध है और मुकदमे के दौरान इसे साबित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होगी। आवेदक एक स्थायी निवासी है और उसके भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक इस मुकदमें में सहयोग करने और इस माननीय न्यायालय द्वारा लगाई गयी सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है। आवेदक अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य है। आवेदक दिनांक 09.04.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–401/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–172/26
बिहार राज्य बनाम् सोनू कुमार।

लगातार

04.05.2026 विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का पूरजोर विरोध किया गया एवं इनका कथन है कि घटनास्थल से कुल 27.500 लीटर भारी मात्रा में विदेशी शराब एव बियर जप्त किया गया तथा इनके विरूद्ध आपराधिक इतिहास भी दर्ज है। अतः अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि उत्पाद थाना दिनांक 09.04.2026 को समय करीब 05:00 AM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि शेखोपुरसराय थाना अंतर्गत शेखोपुरसराय वार्ड नं0–09 सोनू कुमार, पे0–सुरेन्द्र यादव के द्वारा सामुदायिक भवन के पीछे अवैध विदेशी शराब का भंडारन कर बिक्री किया जा रहा है। तत्काल छापामारी करने पर उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। सूचना का सत्यापन करने हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचना से अवगत कराकर मेरे द्वारा एक छापामारी दल का गठन कर गृहरक्षक एवं सैप बल को शामिल कर सूचना अनुरूप समय करीब 06:20 AM बजे शेखोपुरसराय थाना अंतर्गत शेखोपुरसराय वार्ड नं0–09 में सामुदायिक भवन के पीछे पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति सामुदायिक भवन के पीछे दो प्लास्टिक का बोरा को छुपा रहा था, ज्यों ही उसकी नजर छापामारी दल पर पड़ी तो उक्त व्यक्ति ने भागने का प्रयास करने लगा, तो मेरे कहने पर उक्त व्यक्ति को गृहरक्षक सिपाही द्वारा दौड़कर सामुदायिक भवन के पीछे ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सोनू कुमार, पे0–सुरेन्द्र यादव, उम्र लगभग 27 वर्ष, साकिन–शेखोपुरसराय, थाना–शेखोपुरसराय, जिला–शेखपुरा बताया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए घटनास्थल पर दोनों प्लास्टिक बोरा की तलाशी लेने पर 1. पहले हरे रंग के प्लास्टिक बोरा के अन्दर Royal Stag Deluxe Whisky का 750 ML का 10 बोतल, मात्रा–07.500 लीटर विदेशी शराब एवं 2. दूसरे पीले रंग के बोरे के अन्दर God Father Beer 500ml का 25 केन, मात्रा 12.500 लीटर बीयर एवं kingfisher Beer 500ml का 15 केन, मात्रा–07.500 लीटर बियर। कुल विदेशी शराब 07.500 लीटर एवं बियर 20.000 लीटर बरामद व जप्त किया गया। जिसे विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद प्रदर्श को जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया एवं गिरफ्तारी मेमों बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–401/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–172/26
बिहार राज्य बनाम् सोनू कुमार।

लगातार

04.05.2026

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अभियुक्त दिनांक 09.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के विरूद्ध घटनास्थल से 07.500 लीटर विदेशी शराब एवं 20.000 लीटर बियर भारी मात्रा में बरामद होने का आरोप है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध इस केस के अलावा अन्य केस उत्पाद वाद संख्या–321/2025, जिसमें 51.750 विदेशी शराब भारी मात्रा में बरामद हुआ था। इससे विदित होता है कि अभियुक्त आदतन आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है।

अतः उक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायहित में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रक्रम पर आवेदक को जमानत देना युक्ति–युक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है। फिर भी आवेदक को स्वतंत्रता है कि अपने जमानत आवेदन को पुनः आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात संचालित कर सकते हैं।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 04.05.2026

Date Of Judgment/Order	04–05–2026
Date of Reserving judgement/Order	04–05–2026
Uploading Date	05–05–2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.